की ख्या रीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय, भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, पाकुड़।

राजस्व विविध वाद सं0–05/2021–22

कामरूल हक एवं अन्य–बनाम–इसमोतारा बेगम

–: आदेश :–

अंचल अधिकारी, पाकुड़ के नामान्तरण वाद सं0–6656/2020–21 द्वारा मौजा–पाकुड़ नं0–05/128 खाता नं0–34, दाग नं0–2449 रकवा–00बी0–14क0–17धूर (24.5454 डिसमिल) भूमि तथा खाता नं0–506/11 दाग नं0–2369 रकवा 00बी0–08क0–00धूर (13.2231 डिसमिल) भूमि का नामान्तरण इस्मोतारा बेगम, पति–अफजल हुसैन, ग्राम–तारानगर, अंचल–पाकुड़, जिला–पाकुड़ के नाम से किये जाने के विरूद्ध दाखिल अपील आवेदन के फलस्वरूप प्रस्तुत वाद आरम्भ हुआ है। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता को वाद अंगीकरण विन्दु पर सुनवाई के उपरान्त वाद अंगीकृत किया गया। अंचल अधिकारी, पाकुड़ से इस कार्यालय के ज्ञापांक– 412/भू0सु0, दिनांक–14.08.2021 द्वारा मूल अभिलेख एवं जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। विपक्षी को नोटिस किया गया। अंचल अधिकारी, पाकुड़ से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, अभिलेखबद्ध किया गया है।

आवेदक का आवेदन के अनुसार अंचल अधिकारी, पाकुड़ द्वारा भूमि के सभी सह–हिस्सेदारों को नोटिस नहीं किया गया है जिस कारण आवेदन आपत्ति नहीं कर पाये है। विपक्षी नं0–02 के जाली दस्तावेज पर राजस्व उप–निरीक्षक/अंचल निरीक्षक द्वारा टेबुल रिपोर्ट तैयार कर विपक्षी नं0–02 के नाम से नामान्तरण किया गया है। भूमि पर विपक्षी नं0–02 का दखल नहीं है। प्रश्नगत भूमि खतियान में इवादत विश्वास (आवेदक एवं विपक्षी के दादा) के नाम से दर्ज है। इवादत विश्वास की मृत्यु के बाद उनके चार पुत्र–रोशन विश्वास, पतनु विश्वास, गियासुद्धीन विश्वास एवं देरासुद्धीन विश्वास (आवेदक एवं विपक्षी के पिता) आपस में बंटवारा किये एवं दाग नं0–2369 तथा 2449 में बंटवारा पत्र के अनुसार भूमि देरासुद्धीन विश्वास ने प्राप्त किया। देरासुद्धीन विश्वास के मृत्यु के पश्चात् उसके तीन पुत्र– नईमुल हक, अमीरूल हक (अपीलकर्त्ता–2) कामरूल हक (अपीलकर्त्ता–1) एवं चार पुत्री (1) खालेशा बीबी (2) इस्मोतारा बेगम (3) जसमीआरा बेवा (4) तसलीमा बीबी आपस में दिनांक–20.06.2014 को अनिबंधित बंटवारा पत्र द्वारा अन्य भूमि के साथ प्रश्नगत भूमि का बंटवारा किये एवं प्रश्नगत दाग की भूमि बंटवारा पत्र के तफसील "क" एवं "ख" में वर्णित दाग नं0–2449 का कुल रकवा 00बी0–14क0–17धूर में से आवेदक नईमुल हक को 00बी0–07क0–8½धूर एवं कमरूल हक को 00बी0–7क0–8½धूर प्राप्त हुआ है। विपक्षी सं0–02 द्वारा जाली दस्तावेज तैयार कर मौजा–पाकुड़ नं0–128 खाता नं0–506/11 दाग नं0–2369 रकवा

a1

00बी0–08क0–00धूर (13.223 डिसमिल) (2) खाता नं0–34, दाग नं0–2449 रकवा 00बी0–14क0–17धूर (24.5454 डिसमिल) भूमि नामान्तरण वाद सं0–6656/2020–21 द्वारा अंचल कार्यालय, पाकुड़ में नामान्तरण करा लिया गया है जबकि दाग नं0–2449 रकवा 00बी0–14क0–17धूर (24.5454 डिसमिल) प्रथम एवं द्वितीय आवेदक को आधा–आधा प्राप्त है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि दिनांक–10.05.2014 को मुस्लिम फराज के अनुसार विपक्षी एवं उनके सभी भाई–बहनों के बीच अनिबंधित बंटननामा हुआ जिसमें सभी भाई–बहनों का हस्ताक्षर है के अनुसार दाग नं0–2449 रकवा 00बी0–14क0–17धूर भूमि विपक्षी को प्राप्त हुआ एवं अंचल कार्यालय में नामान्तरण वाद सं0–6656/2020–21 द्वारा अपने नाम से नामान्तरित कराकर शान्तिपूर्ण भोग दखल कर रहे है। विपक्षी के तीन बहन खालेशा बीबी, जसमीयारा बीबी, तसलिमा बीबी के द्वारा विपक्षी क पक्ष में विज्ञ अधिवक्ता के समक्ष हस्ताक्षर कर अनापत्ति दिया गया है। आवेदक का आवेदन खारिज किया जाय।

इस न्यायालय का अभिलेख अंचल अधिकारी, पाकुड़ के नामान्तरण मूल अभिलेख सं0–6656/2020–21,अंचल अधिकारी,पाकुड़ का पत्रांक–1358/रा0, दिनांक–24.12.2021 द्वारा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। अपीलकर्त्ता दिनांक–16.06.2023 से लगातार अनुपस्थित है एवं वाद में कोई पैरवी अीपलकर्त्ता की ओर से नहीं की जा रही है। इससे यह स्पष्ट है कि वाद चलाने में आवेदकों का कोई अभिरूचि नहीं है। आवेदक का आवेदन भूमि के Title एवं जाली दस्तावेज/हस्ताक्षर से संबंधित है जो राजस्व न्यायालय का मामला नहीं है। आवेदक का आवेदन खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पाकुड़ को भेजे। विज्ञ अधिवक्ता को अवलोकन करावें।

अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,
पाकुड़।

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता,
पाकुड़।

Digitally signed by RAJEEV KUMAR
Date: 2024.01.17 16:50:32 +05:30
Location: 192.168.3.136